न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 09/2022
प्रविष्टि दिनांक 22.08.2022

जरिये कीर्ति शर्मा , प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 रवि कचौरी व्यास सर्किल मालपुरा जिला टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : **14.11.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 05.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक आदि ने मै० रवि कचौरी व्यास सर्किल, मालपुरा जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 3 में से एक घरेलू गैस श्रेणी का सिलण्डर गैस भट्टी के माध्यम से जुड़ा हुआ था। मौके पर दीनानाथ पारीक पुत्र बिरदी चन्द पारिक निवासी इन्दिरा कॉलोनी मालपुरा मालिक श्री रवि कचौरी व्यास सर्किल, मालपुरा जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	371305	(BPCL)	14.2	15.3	20.0	4.7
02	084932	(BPCL)	14.2	15.8	27.0	11.2
03	357141	(BPCL)	14.2	15.7	21.2	5.5
04	100391	(BPCL)	14.2	16.0	30.2	14.2
						35.6

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा की गयी कार्यवाही गलत एवं विधि विरूद्ध है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी की दुकान मैन चौराहे पर होने के कारण वहां पर निवास करने वाले प्रार्थी के जानकार व्यक्ति आये दिन अपने सिलेण्डर रखकर अपने बजारू छोटे मोटे कार्य को पूरा करने के लिये चले जाते थे। दिनांक 05.08.2022 को भी कीर्ति शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय तहसील मालपुरा जिला टोंक निरीक्षण के लिये प्रार्थी की दुकान पर आये थे तो उस समय भी प्रार्थी के जानकार व्यक्तियों के सिलेण्डर प्रार्थी की दुकान पर रखे हुए थे। प्रार्थी ने प्रर्वतन अधिकारी को काफी समझाया और बताया कि यह सिलेण्डर मेरे नही है यह मेरे जानकार व्यक्तियों के हैं जो आये दिन अपने सिलेण्डर रखकर बाजार का छोटा मोटा काम करने चले जाते है और वो लोग थोड़ी देर मे आ जायेंगे,परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रार्थी की एक नहीं सुनी और उन्होने प्रार्थी की दुकान पर रखे चारों सिलेण्डर जप्त करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध उक्त मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि उक्त सिलेण्डरों से प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

सरोकार नही था । प्रार्थी अपने जवाब के साथ जिन जिन व्यक्तियों के सिलेण्डर अपनी दुकान में रखे हुए थे उन सभी के शपथ पत्र, आधार कार्ड, एवं गैस बुक डायरी प्रस्तुत कर रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक ने उक्त सिलेण्डरो को गलत रूप से जब्त किया है,जिनको वापस दिलवाया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 05.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक आदि द्वारा मै० रवि कचौरी व्यास सर्किल, मालपुरा जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 3 में से एक घरेलू गैस श्रेणी का सिलण्डर गैस भट्टी के माध्यम से जुड़ा हुआ था। मौके पर दीनानाथ पारीक पुत्र बिरदी चन्द पारिक निवासी इन्दिरा कॉलोनी मालपुरा मालिक श्री रवि कचौरी व्यास सर्किल, मालपुरा जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई।

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 35.6 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु बापू गैस एजेन्सी मालपुरा के प्रतिनिधि श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री रामकिशोर चौधरी निवासी ग्राम कडीला तहसील मालपुरा की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 35.6 Kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जवाब को ही बहस माना जावे।

अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस/जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 05.08.2022 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

अनुसार मै० रवि कचौरी व्यास सर्किल, मालपुरा जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 4 सिलेण्डर मय रेगुलेटर पाईप,रबर पाईप व गैस भट्टी सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	371305	(BPCL)	14.2	15.3	20.0	4.7
02	084932	(BPCL)	14.2	15.8	27.0	11.2
03	357141	(BPCL)	14.2	15.7	21.2	5.5
04	100391	(BPCL)	14.2	16.0	30.2	14.2
						35.6

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर शिवा तथा दीनानाथ के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी शिवा,दीनानाथ तथा बाबूलाल चौधरी के हस्ताक्षर है। बाबू गैस एजेन्सी मालपुरा के प्रतिनिधि बाबूलाल चौधरी को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व खाध सामग्री बनाने के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 4 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 35.6 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:38 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक